बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि १६ सितम्बर, १९६३।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १६ सितम्बर, १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

सभा नियमावली के नियम "८९" के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र (फरवरी-अप्रील), १९६३ ई० के शेष २,६७२ प्रश्नों में से १२५ प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ।

Starred Questions and Answers.

तारांकित प्रश्नोत्तर।

विस्फी में कार्यालय का निर्माण।

२४३। श्री एकनारायण चौधरी—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिले के विस्फी प्रखण्ड के लिये सरकार विस्फी ग्राम में जमीन ले चुकी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि विस्फी में अभी तक प्रखण्ड कार्यालय नहीं बना है जिसके फलस्वरूप कार्यालय को प्रखण्ड में ही नहीं थाने के बाहर रखा गया है ;

(३) क्या सरकार विस्फी में शीघ्र कार्यालय बनाने का विचार कर रही है और जबतक वहां व्यवस्था नहीं होती है तबतक इस कार्यालय को विस्फी प्रखण्ड के अन्दर रखना चाहती है ?

(१) सिंचाई मद में आवंटन का ब्योरा निम्नलिखित है :—

साल।	मधवापुर।	बेनीपट्टी।	बिस्फी।	हरलाखी।	बासोपट्टी।	जयनगर।
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१९५७-५८	२५,०००	२५,०००	..	२५,०००	२५,०००	२५,०००
१९५८-५९	२५,०००	२५,०००	..	२५,०००	४५,०००	२५,०००
१९५९-६०	९९,०००	७४,६३९	..	६४,६३८	३८,६३८	३८,६३८
१९६०-६१	५०,०००	९०,०००	५०,०००	६२,०००	४०,०००	४०,०००
१९६१-६२	३०,०००	३०,०००	१६,०००	३०,०००	३०,०००	३०,०००

(२) सिंचाई मद में खर्च का ब्योरा निम्नलिखित है :—

	प्रखंड के शुरू से १९६१-६२ तक का खर्च।	१९६२-६३ में खर्च।
	रु०	रु०
मधवापुर ..	२,२६,२२३	४,०००
बेनीपट्टी ..	२,०८,२२४	२५,०००
बिस्फी ..	४,२४७	६१३
हरलाखी ..	१,८६,६८३	७,९४७
बासोपट्टी ..	१,२९,४००	३,१६९
जयनगर ..	८४,२७१	२,७९३

वेतन की चुकती।

२५३। श्री हरिहर महतो—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत माध्यमिक विद्यालय के बेगमपुर (सबडिवीजन बेगुसराय) के ई० आई० पी० शिक्षकों का माह जून, १९६२ का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ;

(२) अगर खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो विलम्ब का कारण क्या है तथा कबतक उसकी चुकती होगी ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) ऐसी बात नहीं है । शिक्षकों का जून, १९६२ का वेतन विपत्र जिला शिक्षा अधीक्षक, मुंगेर के कार्यालय में ५ जुलाई १९६२ को प्राप्त हुआ और १४ जुलाई १९६२ को जिला शिक्षा अधीक्षक ने वेतन भुगतान के लिए मनिआर्डर मुंगेर फोर्ट पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। पोस्ट ऑफिस की भूल से यह मनिआडर बेगमपुर की जगह चरकापत्थर स्कूल के प्रधानाध्यापक को भेज दिया गया जिन्होंने रुपये का आवश्यक छानबीन के बाद ४ जनवरी १९६३ को जिला शिक्षा कोष में जमा कर दिया। पुनः १२ जनवरी १९६३ को वेतन भेज दिया गया है ।

(२) प्रश्न खंड (१) के उत्तर में इसका उत्तर सन्निहित है ।

PAYMENT OF STIPEND.

284. **Shri SATYADEO PD. CHAUDHARY** : Will the Welfare Minister be pleased to state—

(1) whether Shri Jadubir Ram, son of Shri Khedan Hazra, Harijan of village Jasauli Jamunia, P.-S. Kessariya, district Champaran was allowed stipend by the Welfare Department in 1959, while he was a student of Class IV in the Banjhia Upper Primary School of P.-S. Kessariya ;

(2) whether it is a fact that only Rs. 6 was paid to him in the year 1959 ;

(3) if answers to the above clauses be in the affirmative the reason for not paying the balance amount of the stipend to him ?

श्री भोला पासवान—(१) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(२) एवं (३) प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रशासन के भेद को मिटाना।

३९९। श्री सम्रापति सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय का संचालन तीन तरह से होता है : (१) पर्षद संचालित, (२) आई० पी०, तथा (३) वृत्तभोगी ;

(२) क्या यह बात सही है कि अलग-अलग तरह के विद्यालयों के होने से प्रशासन में काफी गड़बड़ी होती है ;